सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, 11 नवम्बर, 2003 ई0

कार्तिक , 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग

संख्या 1441 / कृषि / 2003

देहरादून: 11 नवम्बर, 2003

अधिसूचना

संशोधन

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित राजपत्र, असाधारण, विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) देहरादून, मंगलवार, 13 फरवरी, 2001 ई0 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 343 / कृषि / 2000–2001 देहरादून, 13 फरवरी, 2001 को महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रकार संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

स्थापित नियम	संशोधित नियम
कीटनाशी अधिनियम, 1968 (अधिनियम संख्या 46 सन् 1968) की धारा 12 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उप कृषि निदेशक, (मुख्यालय) पौडी को कीटनाशी नियमावली, 1971 के पैरा 9 के अन्तर्गत उत्तरांचल प्रदेश में लाइसेन्स जारी करने हेतु **"अनुज्ञापन प्राधिकारी"** नियुक्त करते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल अनुज्ञापन प्राधिकारी के धारा 13 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के विरूद्ध कृषि निदेशक, उत्तरांचल को **" अपील प्राधिकारी"** नियुक्त करते हैं।	कीटनाशी अधिनियम, 1968 (अधिनियम संख्या 46 सन् 1968) की धारा 12 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से संयुक्त कृषि निदेशक, (गुणवत्ता नियंत्रण) को कीटनाशी नियमावली, 1971 के प्रस्तर–9 के अन्तर्गत उत्तरांचल प्रदेश में लाइसेन्स जारी करने हेतु **"अनुज्ञापन प्राधिकारी"** नियुक्त करते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल अनुज्ञापन प्राधिकारी के धारा 13 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के विरूद्ध कृषि निदेशक, उत्तरांचल को " **अपील प्राधिकारी**" नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,

4.12.13

(ओमप्रकाश)

सचिव

C:\Notification.doc